समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला ग्वालियर म0प्र0

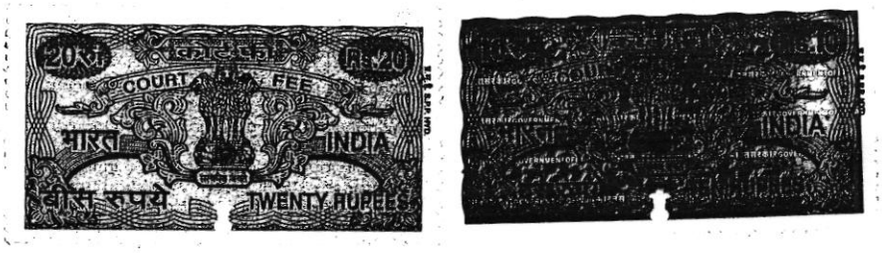

बिहारी लाल चौरसिया पिता श्री राम मनोहर चौरसिया, उम्र लगभग 75 वर्ष, पेशा सेवा निवृत्त कर्मचारी, निवासी मकान क्र. 86, मैन रोड वार्ड क्र.08 अमानगंज, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना म0प्र0

I/निगरानी/पन्ना/भू.रा/2017/4452 .... **निगराकार**

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग पन्ना, जिला पन्ना म0प्र0
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय पन्ना, जिला पन्ना म0प्र0

.... **गैर निगराकारगण**

श्री ... द्वारा आज दि. 13/11/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्व श्रीमान कलेक्टर महोदय पन्ना, जिला पन्ना म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 135/बी–121/16–17 में पारित आदेश दिनाक 29.09.2017 के।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का0मा0।

मान्यवर,

निगराकार निम्न आधारों सहित निगरानी प्रस्तुत कर श्रीमान जी से विनयी है कि :–

✷ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ✷

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 1347/1979/2016/7/2ए भोपाल दिनांक 06.07.2016 के द्वारा शासकीय अधिवक्ता जबलपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 03.02.2016 के साथ संलग्न माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की डब्लू.पी. नम्बर 792/2008 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2015 के परिपालन में निगराकार को माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आहूत किया गया और निगराकार द्वारा स्वतः उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन में अपने स्वत्व संबंधी दस्तावेज तथा अपना लिखित आवेदन वस्तुस्थिति का

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– एक/निग0/पन्ना/भू.रा./2017/4442 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री डी.के. पालीवाल उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । कलेक्टर के आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका क्रमांक 792/2008 में पारित आदेश दिनांक 15.9.15 के आधार पर प्रारंभ किया गया है । आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में विवाद मकान को लेकर है । कलेक्टर ने प्रश्नाधीन मकान को शासन का माना है तथा यह निर्देश दिए हैं कि यदि आवेदक का वर्तमान में प्रश्नाधीन मकान में कब्जा हो तो एफ.आर. 45 में निहित प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उक्त आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के तहत राजस्व मंडल में निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । आवेदक अधिवक्ता भी तर्कों के दौरान यह नहीं बता सके कि कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी राजस्व मंडल में प्रचलन योग्य है । दर्षित परिस्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	